2026/54 अतीज 6.3.2026

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

मोतीराम बनाम ओमप्रकाश आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 05 वर्ष 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
16.01.2026	प्रार्थी मोतीराम की तरफ से वकील श्री धर्मेन्द्र कुमार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 2 केडीएम के प.नं. 9/17(78) कि.नं. 7/4 की 0.050 है. भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 16.02.2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
16.2.26	कुलीए फरमान [illegible] मुद्दा [illegible] में [illegible] है। पत्रावली [illegible] तल्बी [illegible] 23.4.2026 को पेश हो	
6.3.2026	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र निकाल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में खारिज करवाना चाहते हैं। प्रार्थना-पत्र मौजूदा स्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर के क्रम में [illegible] तामील जब्ता दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2026.04.01 10:54:55 IST
Reason: SelfAttested